जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 74 प्रभात बीकानेर, शुक्रवार 4 अक्टूबर, 2024 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

कांग्रेस की जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि पार्टी अपने आंतरिक तनाव व मतभेदों से कैसे निपटती है

पार्टी के प्रति उत्साह बहुत है, 90 सीटों के लिए ढाई हजार गंभीर ''एप्लीकेशन्स'' आई हैं

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- हर एस.सी./एस.टी. आवेदक को अपनी एप्लीकेशन के साथ दस हजार रूपये जमा करवाने होते हैं तथा साधारण वर्ग के आवेदक को बीस हजार रूपए जमा करवाने पड़ते हैं।
- पर, हरियाणा में काफी आंतरिक विरोध है पार्टी में, क्योंकि, अधिकांश टिकट भूपेन्द्र हुड्डा के समर्थकों को दिये गये हैं तथा दलित वर्ग काफी कुंठित व कुपित है, इस एकतरफा टिकट वितरण से।
- इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी भारी उत्साह है पार्टी के टिकटों के बारे में। अभी हालांकि चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन, कांग्रेस पार्टी के टिकट पाने के लिये, 110 सीटों के लिए 1830 आवेदन आ चुके हैं और पार्टी का मानना है कि आवेदकों की संख्या कि दृष्टि से महाराष्ट्र हरियाणा को बहुत पीछे छोड़ देगा।
- आवेदकों में भारी उत्साह का कारण यह भी है कि, गत लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन 65 प्रतिशत सीटों पर बढ़त मिली थी।
- अगर महाराष्ट्र अघाड़ी का टिकट पाने के लिये इतना जोश है तो कांग्रेस के इस गठबंधन के विधानसभा चुनाव में जीतने की अच्छी संभावना है।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के पास टिकटार्थियों की भीड़ लग रही है। पूरे राज्य से अब तक 1830 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जबकि अभी चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई है। इसके अलावा भी, 288 सीटों में से 100-110 सीटों पर ही कांग्रेस के चुनाव लड़ने की संभावना है। इनमें से अधिकांश आवेदन विदर्भ तथा मराठवाड़ा क्षेत्रों से आए हैं।

महाराष्ट्र की स्थिति भी वैसी ही दिखाई दे रही है, जैसी हरियाणा में दिखाई दी थी। हरियाणा में 90 सीटों के लिये 2500 से अधिक आवेदन पत्र कांग्रेस के पास आये थे। महाराष्ट्र में, आवेदकों के लिये आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना अनिवार्य है। यह फीस एस.सी./एस.टी. आशार्थियों के लिये 10,000 रु. तथा सामान्य वर्ग के टिकटार्थियों के लिये 20,000 रु. है। पार्टी के अनुसार, आवेदन पत्रों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र राज्य हरियाणा को पीछे छोड़ देने की स्थिति में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आवेदन रोजाना आ रहे हैं, जबकि राज्य के चुनावों की घोषणा अभी हुई भी नहीं है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इस प्रगति को लेकर बड़ा उत्साह व्यक्त किया है। वे हाल ही के लोकसभा चुनावों में पार्टी को मिली सफलता का हवाला दे रहे हैं, जहाँ कांग्रेस एक बड़ी ताकत के रुप में उभरी थी तथा उसने 13 लोकसभा सीटें जीती थीं तथा एक निर्दलीय सांसद का समर्थन भी उसे प्राप्त हो गया था। इसके साथ ही, महाविकास अघाड़ी को 65 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि आवेदन पत्रों का यह ज्वार महाराष्ट्र में पार्टी की संभावनाओं के लिये एक शुभ संकेत है।

पूर्व मंत्री नितिन राउत, जो आवेदकों की स्क्रीनिंग/ इन्टरव्यू सम्बंधी पैनल का हिस्सा हैं, ने कहा कि अधिकांश आवेदन विदर्भ तथा मराठवाड़ा क्षेत्रों से मिले हैं, जहाँ दलित, मुस्लिम तथा मराठा कांग्रेस और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जमवाय माता मंदिर की राह सुगम होगी- दिया कुमारी

- गुढ़ा, झिरी, आँधी, रामगढ़, जयपुर की 11 किलोमीटर रोड के दोहरीकरण के लिये उपमुख्यमंत्री ने 15 करोड़ स्वीकृत किये।

जयपुर, 3 अक्टूबर। शारदीय नवरात्रि के पावन मौके पर जमवाय माता मंदिर के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उपमुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने जमवारामगढ़ क्षेत्र में गुढ़ा (-52) से वाया आंधी, रामगढ़ होते हुए जयपुर (-8) तक सड़क चौड़ीकरण/सुद्रढ़ीकरण के कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। 15 करोड़ की लागत से इस सड़क के सुदृढ़ीकरण और डबल लेनिंग का काम शीघ्र ही शुरु हो जायेगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि बजट में की गयी घोषणा के मुताबिक जमवारामगढ़ में इस मार्ग के विकास से स्थानीय लोगों और श्री जमवाय माताजी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम हो पायेगा। वर्ष 2023-24 में हुई बजट घोषणा के मुताबिक, गुढा से किशोर, सिद्धा का तिबारा, झिरी, आंधी और रामगढ़ होते हुए 11.30 किलोमीटर लंबी सड़क का दोहरीकरण का काम किया जायेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग जमवारामगढ़ के अधिशासी अभियंता के मुताबिक, इस सड़क के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वन विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मिला अप्रत्याशित समर्थन

जद (एस) के वरिष्ठ विधायक जी.टी. देवेगौड़ा सिद्धारमैया के बचाव में उतरे

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- उन्होंने कहा, अगर एफ.आई.आर. दर्ज होने पर इस्तीफा देने की बात है तो क्या केन्द्रीय मंत्री और जद (एस) के चीफ एच.डी. कुमारास्वामी इस्तीफा देंगे, क्योंकि उन पर भी एक मामले में एफ.आई.आर. दर्ज है।
- जी.टी. देवेगौड़ा ने यहाँ तक कहा कि सिद्धारमैया चुनाव जीत कर 136 विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे बताइए कौनसा कानून कहता है कि उनसे इस्तीफा मांगा जाए या उन्हें जेल भेजा जाए।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। हर तरफ से घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया, जो मैसूर अरबन डवलपमैंट अथॉरिटी के साथ एक जमीन घोटाले में आरोपी है, को एक ऐसी जगह से मदद मिली है जहाँ से जरा भी उम्मीद नहीं थी। जनता दल (एस) के एक वरिष्ठ विधायक ने कहा है कि सिद्धारमैया को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इसकी बजाय अपने पार्टी के प्रमुख और केन्द्रीय मंत्री एच.डी. कुमारास्वामी का इस्तीफा मांगा है।

गुरुवार को मैसूर में हुई दशहरा महोत्सव संबंधी बैठक में वरिष्ठ जनता दल (एस) नेता एवं विधायक जी.टी. देवेगौड़ा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा मांगे जाने की निंदा की और कहा कि अन्य नेताओं जिनके खिलाफ राज्य में एफ.आई.आर. दर्ज हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनता दल (एस) प्रमुख कुमारास्वामी भी उनमें से एक है, जिनके खिलाफ एक अलग मामले में एफ.आई.आर. दर्ज है। जी.टी. देवेगौडा के बयान को राजनैतिक हलकों में बहुत दिलचस्पी से देखा जा रहा है। उन्होंने ना केवल सिद्धारमैया का बचाव किया बल्कि अपनी पार्टी और भाजपा के नेताओं, यहाँ तक कि उन सभी नेताओं को इस्तीफा देने की चुनौती दी, जिनके खिलाफ राज्य में एफ.आई.आर. दर्ज है।

अपनी पार्टी के नेता कुमारास्वामी का नाम लिए बिना जी.टी. देवेगौड़ा ने कहा कि राज्य व केन्द्र के जो लोग (केन्द्र में मंत्री बनने के बाद) अपनी जिम्मेवारी और सम्मान को समझे बिना ही सिद्धारमैया के अच्छे कामों की अनदेखी कर रहे हैं और रोज उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुमारास्वामी, जो मांडया लोकसभा सीट से 2 लाख वोटों से जीते हैं, क्या इस्तीफा मांगे जाने पर इस्तीफा दे देंगे? सिद्धारमैया चुनाव जीते हैं, 36 विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। मुझे बताइए कौनसा कानून उन्हें इस्तीफा देने या जेल में डालने को कहता है?

अगर सिद्धारमैया को सिर्फ एफ.आई.आर. दर्ज होने के कारण इस्तीफा देना पड़ता है तो कांग्रेस, भाजपा, जनता दल (एस) का कोई भी नेता नहीं बचेगा। उन्होंने आगे कहा, क्या कोर्ट या गवर्नर ने सिद्धारमैया से कहा, इस्तीफा दो, नहीं तो जेल भेज देंगे?

सिद्धारमैया जिन्होंने दस दिन के दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया था, ने कहा कि वे अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्हें यकीन है सत्य की जीत होगी। वे इस्तीफा नहीं देंगे। सिद्धारमैया ने कहा, ''जब तक जनता और माँ चामुंडेश्वरी का आशीर्वाद है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता।''

जेल रजिस्टर का जातिगत कॉलम ''असंवैधानिक'' घोषित

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जेल रजिस्टर से जाति का कॉलम हटा दिया जाए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति के आधार पर काम के बंटवारे और बैरकों के पृथक्करण को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करार दिया और केन्द्र तथा राज्य की सरकारों से आदेश के अनुरुप जेल मैनुअल में संशोधन करने के निर्देश दिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला, पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर दिया, जिन्होंने जेलों में जातिगत भेदभाव के विरोध में याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि जेलों में कैदियों के रहने से लेकर काम का वितरण तक मनु की जाति व्यवस्था पर आधारित है।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। देश भर की जेलों में काम के आवंटन में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गुरुवार को कहा कि, जेलों में जाति आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद आरोपियों व अडंर ट्रायल्स के रजिस्टर से जाति का कॉलम हटाने को कहा है।

चीफ जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़ ने जेलों में व्याप्त जातिगत भेदभाव व छूआछूत को असंवैधानिक बताया, राज्य जेल मैनुअल के विभिन्न प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करते हैं, इसलिये इन्हें असंवैधानिक करार दिया जाता है। सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के आधार पर तीन माह के भीतर जेल मैनुअल में बदलाव करें। सी.जे.आई. के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय बैंच में जस्टिस पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केन्द्र सरकार मॉडल प्रिज़न मैनुअल, 2016 और मॉडल प्रिजन्स एण्ड करैक्शनल सर्विस एक्ट 2023 में से जातिगत भेद भाव को हटाने के लिए आवश्यक सुधार करे। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति, लिंग, दिव्यांगता व अन्य आधारों पर होने वाले भेद भाव पर स्वतः संज्ञान लिया।

कोर्ट ने रजिस्ट्री से स्वतः संज्ञान के तीन माह बाद उठने को कहा और कहा कि तब सुनवाई की पहली तारीख सभी राज्य सरकारे व केन्द्र सरकार इस पर रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर दिया। सुकन्या ने 10 दिसम्बर 2020 का एक लेख लिखा था कि बैरकों पृथक्करण से लेकर काम के बंटवारे तक मनु की जाति व्यवस्था ही भारतीय जेल व्यवस्था को संचालित करती है। भारतीय जेलों में व्याप्त जातिगत भेदभाव को उजागर किया गया था। सुकन्या ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को इस पर फैसला रिज़र्व रखा था।

नड्डा जयपुर नहीं आयेंगे, वी.सी. से बैठक लेंगे

- भाजपा सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक अब भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये लेंगे।

जयपुर, 3 अक्टूबर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा स्थगित हो गया है। पहले नड्डा शनिवार को जयपुर आ रहे थे। वे भाजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक लेने वाले थे। लेकिन अब यह बैठक रविवार को वीसी से होगी।

प्रदेश भाजपा को 15 अक्टूबर तक 1.25 करोड़ सदस्य बनाने हैं। लेकिन पहले चरण के खत्म होने तक करीब 31 लाख सदस्य ही बने हैं। नड्डा से पहले, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 26 सितम्बर को प्रदेश भाजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक ले चुके हैं, जिसमें उन्होंने सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराज़गी जताई थी। इसके बाद, अभियान में तेजी देखने को मिली थी। इसी सिलसिले में अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को सदस्यता अभियान की बैठक लेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा योग सैंटर पर पुलिस कार्यवाही रोकी

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडू हाई कोर्ट से यह केस अपने अधिकार में ले लिया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- मामले की शुरुआत, एक व्यक्ति के इस आरोप से हुई कि उसकी दो बेटियों को जबरन ईशा फाउण्डेशन के आश्रम में रखा गया है और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है।
- पिता ने तमिलनाडू हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, इसके बाद तमिलनाडू पुलिस ने ईशा योग सैंटर पर रेड की थी।
- दोनों महिलाओं ने कोर्ट को बताया कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्यवाही रोकने के आदेश दिए।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु पुलिस को ईशा योग सेन्टर के खिलाफ आगे कोई भी कार्यवाही करने से रोक दिया। ज्ञातव्य है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा कोयम्बटूर में संचालित ईशा योग सेन्टर के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त केस मद्रास उच्च न्यायालय से अपने अधिकार में ले लिया है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बैंच ने तमिलनाडु पुलिस से कहा है कि वह उस स्टेटस रिपोर्ट को शीर्ष अदालत में पेश करे, जो इससे पूर्व उच्च न्यायालय ने माँगी थी। बैंच ने निर्देश दिये कि ''उच्च न्यायालय के आदेश के चौथे पैराग्राफ में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में, पुलिस आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगी।''

शीर्ष अदालत ने यह आदेश ईशा फाउण्डेशन की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी द्वारा त्वरित सुनवाई की माँग के बाद दिया। रोहतगी ने बैंच को बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में, करीब 15 अधिकारियों की पुलिस टीम जाँच के लिये आश्रम में पहुँच गई।

बैंच ने कहा, ''इस प्रकार के प्रतिष्ठान में पुलिस के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती।'' ईशा फाउण्डेशन के अनुरोध का समर्थन करते हुये, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय को और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिये थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने् 30 सितम्बर, 2024 को एक पिता द्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसकी दो बेटियों को ईशा योग सेन्टर में कैद करके रखा हुआ है तथा उनका ब्रेनवॉश किया जा रहा है। इस केस की सुनवाई करते हुये, उच्च न्यायालय ने पुलिस से इस संस्थान के खिलाफ दर्ज सारे क्रिमिनल केसों की रिपोर्ट माँगी थी। सर्वोच्च न्यायालय में रोहतगी ने कहा कि दोनों महिलाएं हाईकोर्ट में उपस्थित हुई थीं और उन्होंने कहा था कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं।

केस की सुनवाई में बैंच ने दोनों पहने से चैम्बर में बात की और उसके बाद चीफ जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा कि दोनों महिलाओं ने बताया है कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। कोर्ट ने कहा कि एक महिला ने तो हाल ही में मैराथॉन में भी हिस्सा लिया था।

चीफ जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा कि उन्हें बताया गया कि पुलिस टीम ने गत रात्रि आश्रम छोड़ दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों महिलाओं (जो आज 32 व 49 वर्ष की हैं) द्वारा दिए गए वक्तव्यों को भी दर्ज किया, कि वे 2009 से स्वेच्छा से आश्रम में रह रही हैं और उनके माता-पिता कई बार उनसे मिलने आ चुके हैं।

हालांकि, पूर्व में बेटियाँ हाई कोर्ट के समक्ष पेश हुई थीं और कहा था कि वो आश्रम में अपनी मर्जी से रह रही हैं, तथापि, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि आश्रम के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, ईशा फाउण्डेशन के विरुद्ध चल रहे अपराधिक मुकदमों के जानकारी मांगी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बारां प्रवास के पहले दिन प्रांत प्रचारकों की बैठक ली भागवत ने

- उन्होंने कहा कि संगठित, सबल व अनुशासित हिन्दू समाज के स्वप्न को पूर्ण करना शताब्दी वर्ष का ध्येय है।

बारां, 3 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अपने चार दिवसीय बारां प्रवास में आज पहले दिन बारां की संस्था धर्मादा धर्मशाला में प्रान्त के सभी प्रचारकों के साथ बैठक की।

बारां के विभाग संघचालक रमेश चंद्र मेहता ने बताया कि डॉ. भागवत ने इस बैठक में सभी जिला एवं विभाग प्रचारकों से शताब्दी वर्ष की कार्य योजना और कार्य के दृढ़ीकरण पर चर्चा की। सरसंघचालक ने प्रचारकों से बातचीत में कहा कि हमें शताब्दी वर्ष उत्सव के रूप में नहीं मनाना है, डॉक्टर साहब ने संगठित, सबल और अनुशासित हिन्दू समाज का जो स्वप्न

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इज़रायल, अमेरिका के साथ बैठकर ईरान पर आक्रमण की तैयारी करने में व्यस्त है

हालांकि, इस प्लानिंग में ईरान के न्यूक्लियर हथियारों के ठिकानों को नष्ट करना लगभग तय हो गया है, पर, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन अभी ऊपरी मन से यह भी कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रतिष्ठान पर आक्रमण इस तैयारी का हिस्सा नहीं हैं।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- पर, प्लानिंग के दौरान इज़रायल बेरुत पर आक्रमण कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने में लगा हुआ है। जैसा कि विदित ही है, इज़रायल के उत्तरी भाग की नागरिक बस्तियाँ लगातार, बैरुत में स्थित हिजबुल्लाह आतंकवादियों के हमले से परेशान रहती हैं और इज़रायल सरकार ढाई'तीन लाख नागरिकों को यहाँ से हटा चुकी है।
- अमेरिका के पूर्व नैशनल सिक्युरिटी सलाहकार, जॉन बोल्टन, बराबर दबाव बना रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को नष्ट करना जरूरी है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार ईरान ने इज़रायल पर मिसाइल दागी तो वे न्यूक्लियर बम से सुसज्ज़ित नहीं होंगी।

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इज़रायल संभवतया अमेरिका के साथ मिलकर योजना बना रहा है।

अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन ने वाइट हाउस के पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज कुछ नहीं होगा पर बाइडन ने अप्रत्यक्ष रुप से माना कि ईरान के संसाधनों पर इज़रायल के हमले की योजना तैयार की जा रही है।

जो बाइडन ने यद्यपि कहा कि ईरान के परमाणु आयुध प्रोग्राम पर वह इजरायल के हमले में साथ नहीं देगा। अंत चाहे जो हो पर यह तो तय है कि इज़रायल ईरान को माकूल जवाब देगा और ईरान की सुविधाओं पर हमले करेगा। दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व नैशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन ने इरानी हमले के जवाब में इज़राइल से बड़ा हमला करने को कहा। बोल्टन ने जो बाइडन द्वारा इज़रायल की प्रतिक्रिया पर अपनाए गए, संयमित नजरिए की आलोचना की। बाइडन ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले में इज़रायल का साथ नहीं देने को कहा है।

अभी इज़रायल का सारा फोकस ईरान के सबसे बड़े ददगार हिजबुल्लाह को खत्म करने के बारे में है ताकि वह उत्तरी सीमा से चिंता मुक्त हो जाए। हिजबुल्ला इज़रायल की उत्तरी सीमा पर बसे आबादी वाले इलाकों में हमला करता रहता है। गत 24 घंटों में इज़रायल ने बेरुत में हिजबुल्लाह के गुप्तचर केन्द्रों को नष्ट कर दिया है। इस बमबारी के कारण मरने वाले निर्दोष नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के बाद इज़राइल ईरान के हमले का माकूल जवाब देगा।

इज़रायल द्वारा नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने इज़रायल पर 200 मिसाइले दागी थीं। नसरल्लाह की मौत ईरान और इसके शिया आतंकी नैटवर्क के लिए बड़ा झटका था। खबरे हैं कि नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह शांति वार्ता के बारे में विचार कर रहा है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमलों व जवाबी हमले के कारण समूचा क्षेत्र भीषण युद्ध को झेल रहा है। बोल्टन ने कहा कि अब आवश्यक हो गया है कि ईरान के न्यूक्लियर वैपन प्रोग्राम व उसकी क्षमताओं को नष्ट कर दिया जाएं। अगली बार ईरान मिसाइल हमले की हिम्मत न कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है अगली बार ईरान की मिसाइले परमाणू अस्त्र से सुसज्जित हों। कोई ब्यौरा दिए बिना इज़रायली सूत्रों ने संकेत दिया कि उनका जवाब बहुत जबर्दस्त होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इज़रायल ईरान के परमाणू केन्द्रों पर हमला कर सकता है।

ईरान हमेशा इज़रायल को भारी संहार की धमकी देता रहा है। क्षेत्रीय मसलों से निपटने में ईरान का रुख हमेशा आक्रामक रहा है। इसने यमन में हूती लड़ाकों को हथियार दिए जिसका खामियाजा सऊदी अरेबिया ने वर्षों तक उठाया। हूती लड़ाके अक्सर सऊदी अरेबिया पर मिसाइल दाग देते थे। दूसरी ओर हूती लड़ाके अब विश्व के शिपिंग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पॉक्सो प्रकरण आरोपी की जमानत रद्द, सरैन्डर करने के आदेश

- राजस्थान हाई कोर्ट ने भरतपुर जिले के मामले में पॉक्सो कोर्ट से मुख्य आरोपी को मिली जमानत को रद्द कर दिया और एक सप्ताह में निचली अदालत में सरैन्डर करने को कहा।

जयपुर, 3 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर जिले में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी विश्वेन्द्र उर्फ गोलू को 18 जुलाई, 2023 को पॉक्सो कोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी को निचली अदालत में एक सप्ताह के भीतर सरैंडर करने को कहा है। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को भी कहा है कि वे इस आदेश की कॉपी चीफ जस्टिस को भिजवाएं। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने ये आदेश पीड़िता के पिता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)